न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–01, झांसी।

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं०–37/2026
राजकुमार एवं अन्य **बनाम** राज्य उ०प्र०

दिनांक–14.07.2026

पुकार कराने के बाद पत्रावली पेश हुई। केवल विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)उपस्थित। उनको सुना व पत्रावली का अवलोकन किया जिसके अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं०–01,झाँसी द्वारा सत्र परीक्षण सं०–208/2018 सरकार बनाम लखन पाल एवं अन्य अन्तर्गत धारा–147,148, 307/149,325/149,506 भा०दं०सं० मु०अ०सं०–158/2018 थाना चिरगांव जिला झांसी में पारित निर्णय़ दिनांकित 12.12.2024 के द्वारा अभियुक्तगण लखन पाल व रामकुमार को अन्तर्गत धारा–307/149 भा०द०सं० के आरोप में दस–दस वर्ष के कारावास व प्रत्येक को मु०– 10,000/–10,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण लखन पाल व रामकुमार को अन्तर्गत धारा–147 भा०द०सं० के आरोप में दो–दो वर्ष के कारावास व प्रत्येक को मु०– 1,000/–1,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण लखन पाल व रामकुमार को अन्तर्गत धारा–148 भा०द०सं० के आरोप में तीन–तीन वर्ष के कारावास व प्रत्येक को मु०– 2,000/–2,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण लखन पाल व राजकुमार को अन्तर्गत धारा–325/149 भा०द०सं० के आरोप में सात–सात वर्ष के कारावास व प्रत्येक को मु०– 3,000/–3,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण लखन पाल व रामकुमार को अन्तर्गत धारा–506 भा०द०सं० के आरोप में दो–दो वर्ष के कारावास व प्रत्येक को मु०– 2,000/–2,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिसके विरूद्ध अभियुक्त रामकुमार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं०–323/2025 रामकुमार बनाम उ०प्र राज्य एवं अभियुक्त लखन पाल की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील सं–12749/2024 लखनपाल बनाम राज्य उ०प्र० एवं दाखिल किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21.01.2026 एवं 27.03.2026 के अनुक्रम में अभियुक्तगण को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा गया है।

अभियुक्तगण लखन पाल एवं रामकुमार,न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि का पचास प्रतिशत को दौरान अपील स्थगित किया गया।

लिपिक की आख्या के अनुसार अभियुक्तगण लखन पाल एवं रामकुमार द्वारा उपरोक्त आदेशों का अनुपालन किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकीर्ण वाद को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसीलिये प्रकीर्ण वाद निस्तारित की जाती एवं आवश्यक कार्यवाही के बाद दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक:14.07.2026

(आदित्य चतुर्वेदी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–01, झांसी।